न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.का.अधि. / 24 / 2022 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1.नेनाराम पुत्र मादाराम कायम मुकाम 1/1वक्सुदेवी पत्नी नेनाराम 1/2चतराराम पुत्र नेनाराम 2.दानाराम पुत्र मादाराम 3.वंशीलाल पुत्र मादाराम के वारिसान 3/1वनवारी पुत्र वंशीलाल 3/2भंवरीदेवी पुत्री वंशीलाल पत्नी ओमप्रकाश पुत्र मोडाराम जाति माली निवासी कनाना हाल वार्ड संख्या33 वालोतरा 3/3सूरज पुत्र वंशीलाल 3/4सुंदरदेवी वेवा वंशीलाल 4.रामाराम पुत्र मादाराम 5.तिलोकाराम पुत्र सवाराम 6.निम्बाराम पुत्र सवाराम 7.भंवराराम पुत्र सवाराम जातियान मली निवासीयान कनाना तहसील जिला वाड़मेर (राज.)	1.भीखाराम पुत्र गोबरराम जाति माली 2.बुधाराम पुत्र कालुराम जाति माली निवासीयान कनाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3.राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पचपदरा जिला बाड़मेर 4.हल्का पटवारी, पटवार हल्का कनाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्व सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 111/2007 बअनवान भीखाराम बनाम बुधाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.02.2022 के विरूद्ध पेश हुई।

उपस्थिति

1. वकील श्री करणसिंह सोलंकी अपीलान्ट की ओर से।
2. वकील श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेंट संख्या 01 की ओर से।
3. वकील श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेंट संख्या 02 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः— 25.07.2022

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि रेस्पोडेंटस 01 व 02 एवं अपीलांटस के विरूद्ध घोषणा व स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष के साथ वाद पत्र पेश किया कि सरहद मौजा कनाना तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर के खसरा नंबर 711, 721, 722 रकबा क्रमशः 10.09 बीघा, 00.15 बीघा, 86.10 बीघा संयुक्त सामलाती कृषि भूमि कुल रकबा 97.14 बीघा भूमि में वादी/रेस्पोडेंटस संख्या 01 का 1/3 हिस्सा प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 02 का 1/3 का व अपीलांटस का 1/3 हिस्सा बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाने हेतु अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पेश किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा प्रथम व द्वितीय अपील भी की, जो अस्वीकार होने पर उक्त के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे एक सिविल रिट प्रस्तुत की जो वर्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटीशन नं. 17887/2019 पेश कर रखी है। उपरोक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा द्वारा दिनांक 22.11.2019 को विभाजन प्रस्ताव नायब तहसीलदार जसोल से तैयार करवाकर दिनांक 08.01.2020 को अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 23.02.2022 को आलोच्य निर्णय मय डिक्री पारित की गई, जिसके विरूद्ध हस्तगत अपील पेश की गई।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। तीनों विद्वान अधिवक्ताओं की पत्रावली पर बहस सुनी गई।

वकील अपीलांट ने अपनी बहस में बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत प्रकरण में प्राथमिक डिक्री पारित की के विरूद्ध अपीलांटस द्वारा प्रथम व द्वितीय अपील भी की, जो अस्वीकार होने पर उक्त के विरूद्ध माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर मे एक सिविल रिट प्रस्तुत की जो वर्तमान मे माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसके प्रकरण संख्या एस बी सिविल रिट पीटीशन नं. 17887/2019 पेश कर रखी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिक्री की पालना में तहसीलदार पचपदरा से विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया जिन्होने अपने पावर को डेलिगेट करते हुए नायब तहसीलदार जसोल को विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था परन्तु नायब तहसीलदार जसोल द्वारा वादग्रस्त खेतों पर जाये बिना पटवारी हल्का व आर आई के मार्फत उक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करने हेतु निर्देशित किया जिस पर पटवारी हल्का द्वारा उतरदाता/वादीगण के प्रभाव में आकर कब्जा कांश्त के विपरीत विभाजन प्रस्ताव

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय पेश किया गया। अपीलांट को बिना पूर्व सूचना के आर.आई द्वारा विभाजन प्रस्ताव मौके की स्थिति के विपरित तैयार किया गया, जिस पर अपीलांट के हस्ताक्षर नहीं है तथा एकपक्षीय रूप से तैयार विभाजन प्रस्ताव को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, राजस्थान टिनेन्सी (राजस्व मण्डल) 1955 के नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है तथा तहसीलदार पचपदरा द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में पेश विभाजन प्रस्ताव मौके के प्रतिकूल बनाकर अधीनस्थ न्यायाल में पेश किया गया। यह बंटवारा By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर नहीं किया गया है। अपीलांटगण को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया जो प्राकृतिक न्याय सिद्धांत के खिलाफ है। अपीलांट को सुने बिना निर्णय पारित किया गया है। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय खारिज फरमाया जावे। अपीलांटगण के अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRT 2021(2) Page 1318
RRT 2022(1) Page 390
RRT 2022(1) Page 135

वकील रेस्पोडेंट संख्या 01 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिस विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं क्योंकि तहसीलदार पचपदरा द्वारा मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त के अनुसार उभयपक्षकारान के रूबरू विभाजन प्रस्ताव तैयार किया गया है जो विभाजन प्रस्ताव मौके पर पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार सही है। अपीलांटगण के हिस्से में रखी भूमि को हम रेस्पोडेंटस को दिया जाता है तो कोई आपति नहीं है। अपीलांटगण द्वारा मौके पर ज्यादा भूमि पर कब्जा किया हुआ है जो देना चाहते नहीं है। जबकि कानूनन अपने हिस्से से अधिक भूमि अपने कब्जे में रख नहीं सकते। अपीलांट द्वारा उतरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

वकील रेस्पोडेंट संख्या 02 ने बहस करते हुए बताया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुए अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई जो न्यायोचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जिरा विभाजन प्रस्ताव के आधार पर अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है विधि सम्मत है। अपीलांटगण के हिस्से में रखी भूमि को हम रेस्पोडेंटस को दिया जाता है तो कोई आपति नहीं है। अपीलांटगण द्वारा मौके पर ज्यादा भूमि पर कब्जा किया हुआ है जो देना चाहते नहीं है। जबकि कानूनन अपने हिस्से से अधिक भूमि अपने कब्जे में रख नहीं सकते। अपीलांट द्वारा उत्तरदाता को नाहक तंग व परेशान करने की नियत से गलत रूप से अपील पेश की गई है जबकि अधीनस्थ न्यायालय ने वादग्रस्त भूमि की सही विधिवत हिस्से अनुसार घोषणा कर बंटवाड़ा किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप पारित किया गया है जिसमें किसी तरह की कमी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय By Metes & Bounds सिद्धांत के आधार पर पारित किया गया है और सहखातेदारों के मध्य विभाजन बराबर–बराबर किया गया है। किसी का हिस्सा कम–ज्यादा नहीं किया गया इसलिए अपीलांट की अपील खारिज फरमायी जावे।

पत्रावली का अवलोकन व विद्वान उभयपक्ष के अधिवक्ताओं की बहस पर मनन करने के पश्चात यह तथ्य प्रकट हुआ कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री उभयपक्ष की उपस्थिति में बहस सुनने के पश्चात पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय में प्राप्त विभाजन प्रस्ताव बाकायदा भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा स्वयं ने मौके पर जाकर अपनी उपस्थिति में नियमानुसार भूमि की गुणवता, स्थायी अलामात/कब्जे को मद्देनजर रखते हुए बनाया जाकर पेश हुआ, जिस पर दिनांक 23.02.2022 को अंतिम डिक्री जारी की गई। उपरोक्त विभाजन प्रस्ताव तैयार करते वक्त राजस्थान टिनेन्सी (सरकारी) नियम 1955 के नियम 20 से 21 की पूर्ण रूप से पालना की गई है। अपीलांटगण येन–केन प्रकारेण मामले में अवरोध डालकर इसे अनावश्यक चुनौती देने की मंशा रखते है और वे न्यायालय में सदभावना के साथ स्वच्छ हाथों से नहीं आए हैं। अपीलाधीन निर्णय विधिसम्मत एवं नियमानुसार By metes & Bound सिद्धांत के अनुसार तैयार किये गए तहसीलदार पचपदरा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर पारित किया गया है जिसमें

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

किसी भी प्रकार की विधिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं होती। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का पालन करते हुए पारित की गई जिसमें किसी प्रकार की कोई वैधानिक त्रुटि दृष्टिगोचर नहीं हो रही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों के आलोक में अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज करने योग्य ठहरती है।

लिहाजा अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर सिणधरी द्वारा राजस्व वाद संख्या 111/2007 बअनवान भीखाराम बनाम बुधाराम वगै. में पारित निर्णय एवं अंतिम डिक्री दिनांक 23.02.2022 को यथावत रखा जाता है।

(प्रतिष्ठा कलानिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

यह निर्णय आज दिनांक 25.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर